रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042021-226628
CG-DL-E-15042021-226628

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 2021/चैत्र 25, 1943
No. 210]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2021/CHAITRA 25, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 261(अ).—केन्द्रीय सरकार, सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 16(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियम बनाने का प्रस्ताव रखती है, जिन्हें धारा 134 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित रूप में इससे संभवत: प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है तथा इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर शासकीय राजपत्र की प्रतियां, जिनमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 45 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, श्री केश राम मीना, अवर सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कमरा सं. 17, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को संबोधित किए जाएं या ईमेल (fasli@dgfasli.nic.in और kr.meena86@nic.in) द्वारा भेजे जाएं। आपत्तियां या सुझाव एक प्रपत्र में में भेजे जाएं जिसमें ये कॉलम दिए गए हों (i) व्यक्तियों और संगठनों के नाम और पतों का उल्लेख किया जाए और कॉलम (ii) संशोधित किए जाने के लिए प्रस्तावित नियम या उप-नियम का उल्लेख किया जाए तथा कॉलम (iii) प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रस्तावित परिशोधित नियम या उप-नियम और इसके कारणों का उल्लेख किया जाए; आपत्तियां और सुझाव, जो ऊपर विनिर्दिष्ट 45 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त हों, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 16 (5) के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप नियम

तकनीकी समितियां

(1) तकनीकी समितियों का गठन।

(i) केन्द्रीय सरकार संहिता की धारा 16 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन में केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय बोर्ड की सहायता करने के प्रयोजनार्थ एक या अधिक तकनीकी समितियों का गठन करेगी।

(ii) तकनीकी समितियां बहु-सदस्यीय समितियां होंगी, तथा इनमें सरकार, जनता, स्वायत्त या निजी संस्थाओं/उद्योगों के सदस्य शामिल होंगे।

(iii) समिति के सदस्य इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या (भौतिकी/रसायन) में मास्टर डिग्री अथवा आयुर्विज्ञान में परा-स्नातक की डिग्री के साथ एमबीबीएस होंगे अथवा विनिर्दिष्ट क्षेत्र/उद्योग में 20 वर्ष तक का पर्याप्त अनुभव रखेंगे।

(iv) तकनीकी समिति के अध्यक्ष पदेन सदस्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित होंगे।

(v) तकनीकी समिति विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उप-समितियां गठित कर सकती है।

(vi) तकनीकी समिति अपने व्यावसायिक लेन-देन सहित ऐसे नियमों और कार्यप्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी की जाएं।

(vii) तकनीकी समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगा।

(2) तकनीकी समितियों के कार्य।

(i) तकनीकी समितियां संहिता, 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं संबंधी मानकों, नियमों और विनियमों का निर्माण, रचना और समीक्षा करेंगी।

(ii) तकनीकी समिति आवश्यकता के आधार पर तथा छह माह में एक बार नियमित रूप से बैठक करेगी।

(3) त्यागपत्र:-

(i) तकनीकी समिति का सदस्य जो पदेन-सदस्य न हो, तकनीकी समिति के अध्यक्ष के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को संबोधित एक लिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(ii) तकनीकी समिति का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय को संबोधित लिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(iii) ऐसे किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, का पद केन्द्र सरकार द्वारा उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने की तिथि अथवा केन्द्र सरकार द्वारा त्यागपत्र की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति, जो भी पहले हो, से रिक्त माना जाएगा।

(4) सदस्यता की समाप्ति:-

यदि तकनीकी समिति का कोई सदस्य, पदेन सदस्य न होने पर, ऐसी समिति की दो लगातार बैठकों में अनुपस्थित होने पर उस समिति के अध्यक्ष की बिना अनुमति के ही उस समिति से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी:

बशर्ते कि केन्द्र सरकार, ऐसे सदस्य के दो लगातार बैठकों में उपस्थित न होने के पर्याप्त कारण से यदि संतुष्ट हो तो, यह निर्देश दे सकती है कि सदस्यता की समाप्ति नहीं होगी और ऐसे निर्देश के कारण वह सदस्य उस समिति का सदस्य बना रहेगा।

(5) सदस्यता के लिए अयोग्यता:-

(i) कोई व्यक्ति तकनीकी समिति का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य माना जाएगा-

(i.क) यदि उसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

(i.ख) यदि वह आरोपित दिवालिया हो; अथवा

(i.ग) यदि वह ऐसे किसी अपराध के लिए जिसे केन्द्र सरकार नैतिक कदाचार माने, अभियोजित किया गया हो।

(ii) जहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसी अयोग्यता उप-नियम (1) के अंतर्गत आती है तो ऐसे मामले में केन्द्र सरकार के निर्णय को अंतिम माना जाएगा।

(6) सदस्यता से उन्मुक्ति:-

केन्द्र सरकार तकनीकी समिति के किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष को हटा सकती है, यदि उसकी राय में वह सदस्य उस समिति का प्रतिनिधित्व करने संबंधी प्रवृत्ति प्रदर्शित न करता हो:

बशर्ते कि ऐसा कोई भी सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि इस नियम के अंतर्गत प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने का उसे उपयुक्त अवसर उसे प्रदान न किया जाए।

[फा. सं. एस-65025/04/2020-आईएसएच-II]

गोपाल प्रसाद, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2021

G.S.R. 261(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by Sections 16 (5) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) read with section 24 of General Clauses Act, 1897(10 of 1897), are hereby notified as required by sub-section (1) of Section 134, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Kesh Ram Meena, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Room No: 17, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi or by email (fasli@dgfasli.nic.in and kr.meena86@nic.in). The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the persons and organizations and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub rule proposed to be submitted and the reasons therefore; Objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of a period of 45 days, specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules prescribed under section 16 (5) of the OSH&WC Code, 2020

<u>Technical Committees</u>

(1) Constitution of Technical Committees.

(i) The Central Government shall constitute one or more Technical Committees for the purpose of assisting the Central Government or National Board in discharge of its function specified in sub-section (*1*) of section 16 of the Code.

(ii) The Technical Committees shall be multi-members committee, and consist of members from government, public, autonomous or private institutions/industries.

(iii) The members of the committee shall have Bachelor's degree in engineering or Master's Degree in (Physics/Chemistry) or MBBS with postgraduate in Medical Sciences or adequate experience of not less than 20 years in the specified field/ industry.

(iv) The Chairman of the Technical Committee shall be the ex-officio member or nominated by the Central Government.

(v) The Technical Committee may constitute sub-committees to meet the specific requirements.

(vi) The Technical Committee shall follow such rules and procedure including its transaction of business as may be issued by the Central Government or National Board from time to time.

(vii) TA/DA for non-official members of the Technical Committee shall be as per the instructions issued from time to time by Department of Expenditure, Ministry of Finance.

(2) Functions of Technical Committees.

(i) The Technical Committees shall frame, formulate and review standards, rules and regulations on Occupational Safety, Health and Working Conditions under the Code, 2020.

(ii) The Technical Committee shall meet regularly on need basis and not less than once in a six month.

(3) Resignation:-

(i) A member of the Technical Committee, not being an ex officio member, may resign his office by a letter in writing addressed to the Central Government through the Chairperson of the Technical Committee.

(ii) A Chairman of the Technical Committee may resign his office by a letter in writing addressed to the Central Government, Secretary Ministry of Labour and Employment.

(iii) The seat of such a member or Chairman as case may be shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the Central Government, or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by Central Government whichever is earlier.

(4) Cessation of membership:-

If any member of the Technical Committee, not being an ex officio member, fails to attend two consecutive meetings of such Committee, without obtaining the permission of the Chairperson of such Committee for such absence he shall cease to be a member of such Committee:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending two consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of such Committee.

(5) Disqualification for membership:-

(i) A person shall be disqualified for being a member of the Technical Committee —

(i.a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(i.b) if he is an undischarged insolvent; or

(i.c) if he has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude.

(ii) Where a question arises as to whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the Central Government shall decide such question, should be treated as final.

(6) Removal from membership:-

The Central Government may remove any member or Chairman of the Technical Committee, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on such Committee:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to him of making a representation against the proposed action under this rule.

[F. No. S-65025/04/2020-ISH-II]

GOPAL PRASAD, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.